

ACM का मू. उ. पत्र

कारिण / रामगोपाल

72/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

28/8  
2023

पञ्चवली पुस्तक। वे. फ. उप.। मूलवा.।  
प्रा. पत्र 07 R।। सी. सी. पी. सपठित धारा  
। 5। सी. सी. ए. होने पर खारिज किया  
जा चुका है। अतः अब इस प्रा. पत्र  
अस्थान निषेधाज्ञा का कोई भी  
नहीं रह जाता है। फलस्वरूप प्रा. पत्र  
अस्थान निषेधाज्ञा खारिज किया  
जाता है।

पञ्चवली फैसल सुनाए घेक  
कारिण पत्रा घे।

हायत कलक्टर  
गामेर म. जयपुर